



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509-220006, 223877 (ऑफिस)
फैक्स-01509 220068, 223877 (ऑफिस)

—: निविदा सूचना :—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में रबी 2014-2015 में बोये गये चने की कटाई करने के बाद खण्ड 1,2 व 3 में चने में से निकलने वाले बाथू (घास का बीज) जिसकी अनुमानित मात्रा लगभग 1500 क्विंटल होगी, की बिक्री हेतु सीलबंद निविदायें/खुली बोली ब्लॉकवार दिनांक 18.04.2015 को सांय 2.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 3.00 बजे कमेटी द्वारा खोली जायेगी। यदि 18.04.2015 को निर्णय नहीं हो तो पुनः 26.04.2015 निविदायें/खुली बोली होगी। धरोहर राशि रुपये 10000/- मात्र का डी.डी. प्रत्येक खण्ड के लिए जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** सूरतगढ़ के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। सफल बोलीदाता/निविदादाता की अमानत राशि कार्य सन्तोषजनक पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा असफल बोलीदाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी। अन्य नियम व शर्तों का विवरण तथा टेंडर फार्म किसी भी कार्यदिवस में रू0 100/- देकर प्रातः 9.30 से सांय 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0)

विनोईग सेंटर पर पड़े बाथू (2014-15 में) को खरीदने हेतु नियम व शर्तें

- 1 खण्ड 1,2,3 में बाथू खरीदने के लिए निविदा/खुली बोली में भाग लेने के लिए इस कार्यालय में धरोहर राशि रु0 10000 (दस हजार रु0 मात्र) प्रत्येक ब्लॉक के लिए फार्म खजांची के पास डी0डी0 जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ के नाम देय हो, जमा करवाने होंगे। अमानत राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। बाथू की अनुमानित मात्रा (लगभग 1500 क्विटल) की 25 प्रतिशत रकम उसी दिन खरीददार को जमा करानी होगी। जोकि आखिरी रिलीज ऑर्डर में समायेजित की जायेगी। 25 प्रतिशत रकम जमा नहीं कराने पर अमानत राशि जब्त करली जायेगी।
- 2 बाथू से मिट्टी आदि साफ करने के लिए तथा बोरी भराई, लदाई आदि सभी कार्य ठेकेदार को करने होंगे। बाथू ले जाने के लिए वाहन ठेकेदार का होगा।
- 3 बाथू की मात्रा लेने से पहले रकम जमा कराकर रिलीज ऑर्डर लेना होगा तभी बाथू दिया जायेगा।
- 4 बाथू से निकली हुई मिट्टी/कचरे को ठेकेदार अपने ट्रैक्टर से विनोईग सेंटर से बाहर डलवायेगा तथा विनोईग सेंटर को साफ करेगा।
- 5 बाथू सफाई या लदाई आदि के समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा तथा पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
- 6 कार्य करने की अवधि सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ही होगी।
- 7 कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा फार्म का किसी प्रकार का नुकसान किया गया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
- 8 यदि कोई ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़ देता है तो उसकी अमानत राशि व माल जब्त कर लिया जाएगा।
- 9 यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दिशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक महोदय को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्वीटेटर) के द्वारा विवाद का निवटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दषा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।

- 10 सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।
- 11 आर्बीटेशन एवं कौन्सिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म परिधि से सम्बन्धित होगा ।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्मसूरतगढ़ (राज0)

विनोईगसेन्टरपरपड़ेबाथूको खरीदने के लिए टेण्डर

क्रं0 सं0	ब्लॉक नं0	बाथू की अनुमानितमात्रा क्विटलमें	दरप्रतिक्विटल रूपयोंमेंजोफार्ममेंजमाकरानीहै ।
1.	खण्ड नं0 – एक	500.00	
2	खण्ड नं0 –दो	500.00	
3	खण्ड नं0 –तीन	500.00	

हस्ताक्षर

नाम व पता.....

.....

.....

मोबाईल नं0